न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– अर्चना बुगालिया (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
59 / 2022	27.04.2022	16.01.2024

अनवान

1. हीरालाल पुत्र चम्पालाल जाति गाडरी निवासी रेण का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. रामचन्द्र पिता चमना काछी जाति काछी निवासी काछियाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. कन्हैयालाल पिता रामनिवास सोमानी आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. गोपाल पिता रामनिवास सोमानी आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. रामपाल पिता मांगीलाल सोमानी आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
5. लक्ष्मण पिता भोना जाति पूर्बिया आयु वयस्क निवासी रेण का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
6. शंकर पिता नारू जाति पूर्बिया आयु वयस्क निवासी रेण का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
7. बंशीलाल पिता चम्पा जाति पूर्बिया आयु वयस्क निवासी रेण का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
8. सोहन पिता चम्पा जाति पूर्बिया आयु वयस्क निवासी रेण का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
9. गणेश पिता मोहन जाति पूर्बिया आयु वयस्क निवासी रेण का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
10. प्रथू पिता नाथू जाति भील आयु वयस्क निवासी रेण का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
11. बालु पिता उंकार जाति भील आयु वयस्क निवासी रेण का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
12. कालु पिता चमना जाति ढोली आयु वयस्क निवासी खातिया खेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
13. काना पिता नारायण जाति ढोली आयु वयस्क निवासी खातियाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
14. उदा पिता नारायण जाति ढोली आयु वयस्क निवासी खातिया खेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.08 11:31:15 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीगण

उपस्थितिः– अधिवक्ता श्री मांगीलाल बैरवा — प्रार्थी

एक तरफा — अप्रार्थीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम::–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा खातियाखेडी पटवार हल्का बालारडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 93 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 143, 146 कुल किता 02 कुल रकबा 0.51 हैक्ट0 तथा खाता संख्या 46 के आराजी संख्या 142, 158, 159 कुल किता 3 कुल रकबा 1.04 हैक्ट0 कृषि भूमि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, और अप्रार्थीगण आराजियात जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा–चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। पूर्व में दिनांक 13.07.2022 को अप्रार्थी संख्या 1, 5, 6, 7 से 14 के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से एक तरफा कार्यवाही की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा एक तरफा बहस बाबत निवेदन किया जो स्वीकार किया जाकर बहस एकतरफा सुनी गयी। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर–बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार कपासन को सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार कपासन को आदेश दिया जाता है कि मौजा खातियाखेडी पटवार हल्का बालारडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 93 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 143, 146 कुल किता 02 कुल रकबा 0.51 हैक्ट0 तथा खाता संख्या 46 के आराजी संख्या 142, 158, 159 कुल किता 3 कुल रकबा 1.04 हैक्ट0 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार कपासन को 1000/– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया [illegible] कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा [illegible] 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से [illegible] तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश[illegible] कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 16.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अर्चना बुगालिया)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.08 11:31:15 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official